उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या-32/2022/आई/130612/ 41-1002(001)/57/2021-186(बजट)/2021
लखनऊ:: दिनांक 09 जनवरी, 2022

शुद्धि-पत्र

जनपद मऊ के तहसील-घोसी, वि0ख0-बडराव, के ग्राम-मुहम्मदाबाद सिपाह (माही सिपाही) में स्थित कोईल मर्याद भवानी स्थल के पर्यटन विकास हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-538/2021/आई/108156/41-1002(001)/57/2021-186(बजट)/2021 दिनांक 21.10.2021 के पृष्ठांकन-03 में अंकित मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ तथा पृष्ठांकन-8 में प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ तथा पृष्ठांकन-9 में सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मऊ के स्थान पर क्रमश: मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर, मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ एवं अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोरखपुर अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 21.10.2021 संशोधित समझा/पढा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
4. जिलाधिकारी मऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, मऊ।
6. संयुक्त निदेशक,पर्यटन निदेशालय,लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4,5,7,8,9 व 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9. अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोरखपुर
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी,गोरखपुर/आजमगढ मण्डल, गोरखपुर।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in